न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर

गुडामालानी जिला बाडमेर

मुकदमा हनुमानराम बनाम मिसरा

प्रा0पत्रसं0 171 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **आदेशिका** (अन्तर्गत धारा –212 आर0टी0एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11.07.2024		

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उप0। आज यह प्रार्थना–पंत्र अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट–1955 का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल **खसरा संख्या 113 / 4.9533 है0 137 / 0.8256 कुल किता 02 कुल रकबा 5.7789 है0** वाके ग्राम राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाडमेर में स्थित है। उक्त आराजी उभय पक्षकारान **की पैतृक संयुक्त कब्जा काश्त** की आराजी है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त संयुक्त आराजी मे हिस्सा होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। उक्त संयुक्त आराजी पर वर्तमान में रहवारी ढाणी व पशु चारवाडे व पानी के टांके बनें हुऐ है। **अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की सम्पूर्ण आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर अन्तरण करने पर आमादा है।** अगर अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त सम्पूर्ण भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर अन्तरण करते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि का बेचान अन्तरण व मुन्तकिल नही करने के लिए प्रार्थी रेकार्ड यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी गई। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर जॉचना आवश्यक है:–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व / कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी का संयुक्त होना प्रमाणित है एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की होने के कारण प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। साथ ही मुताबिक प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर अन्तरण किये जाने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विश्वास करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त आराजी *हाल* **खसरा संख्या 113 / 4.9533 है0 137 / 0.8256 कुल किता 02 कुल रकबा 5.7789 है0** वाके ग्राम राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाडमेर *पर जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण वाद पत्र में वर्णित आराजी पर जवाब प्रस्तुत करने तक* ***रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें।***

अप्रार्थीगण जरिये [illegible] हो तथा इस संबंध में कोई उज–एतराज हो तो दिनांक [illegible]2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
गुडामालानी

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

हनुमानराम	बनाम	मिश्राराम
जीसीएमएस संख्या 2024/274	किस्म मुकदमा	171/24

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
12/8/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी/अप्रा. विपक्षीगण के सम्मन डाक द्वारा जारी ट्रेक रिपोर्ट पेश करने का अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 6/9/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	1383 / 12/8/24
06/09/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन डाक द्वारा [illegible] ट्रेक रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली वाइदा दिनांक 24/10/24 को पेश हो। [signature]	
24/10/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी/अप्रा. अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की ओर से एड. धन्नाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया/ पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 21/11/2024 को पेश हो। [signature]	
21/11/24	पत्रावली आज पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उप. वकील अप्रार्थी जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर [illegible] पत्रावली दिनांक 16/12/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

हनुमान	बनाम	मिश्रा
जीसीएमएस संख्या 2024/274	किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पायती
16/12/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप०। अप्रार्थीगण वकील जवाब वास्ते अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 13/1/25 को पेश हो। [illegible] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	
13/01/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्ष उप०। अप्रार्थीगण वकील जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/02/25 को पेश हो। [illegible] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	(Date fix [illegible]) [illegible]
18/02/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप०। अप्रार्थीगण वकील जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/04/25 को पेश हो। पुनश्च- पत्रावली पर बहस सुनी गयी। न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11/07/2024 को मूल वाद के [illegible] (Confirm) किया जाता है। [illegible] कुमार लेकर मूलवाद [illegible] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 10:42:26 [illegible]
Reason: SelfAttested